UPSI120000192002

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) बिसवाँ सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी (सुभाष)(उ०प्र० न्यायिक सेवा)UP03785

सरकार बनाम कामेश्वर दयाल आदि।

फौजदारी वाद संख्या-268/2002

अप०सं० 119/2002
धारा 323, 324, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना बिसवाँ, जनपद सीतापुर।

दिनाँक 08.04.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त राम मोहन की मृत्यु आख्या थाना से प्राप्त हुई। थाना की आख्या का अवलोकन किया। थाना की आख्या के साथ ग्राम प्रधान द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली पर संलग्न है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त राम मोहन पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम बोहरा, थाना बिसवाँ जनपद सीतापुर की मृत्यु हो चुकी है। न्यायालय द्वारा थाना पैरोकार थाना बिसवाँ का बयान लिपिबद्ध किया गया। अतः अभियुक्त राम मोहन पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम बोहरा, थाना बिसवाँ जनपद सीतापुर की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्त राम मोहन पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम बोहरा, थाना बिसवाँ जनपद सीतापुर की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली दिनाँक 06.05.2025 को वास्ते हाजिरी मुल्जिम पेश हो।

दिनाँक 08.04.2025

(सुभाष)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/-

Digitally signed by SUBHASH
Date: 2025.04.08 16:04:42 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan